शांतिपूर्ण एवं प्रलोभन मुक्त निर्वाचन के लिए सीमाओं पर रखें कड़ी निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग ने सभी प्रदेशों के सीएस, डीजीपी एवं केन्द्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक लेकर दिए निर्देश

भोपाल (काप्र)।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और आंकलन करने, अवैध गतिविधियों, जब्ती की रोकथाम और अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

संयुक्त समीक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के बीच सहज समन्वय और सहयोग के लिए सभी संबंधित हितधारकों को एक ही मंच पर लाना था। आयोग ने प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ ही राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और सीमाओं की रक्षा करने वाली केंद्रीय एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुये।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये कि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या भय के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सके। श्री कुमार सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एजेंसियों से स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय-मुक्त चुनाव के लिए अपने संकल्प को ठोस कार्रवाई में बदलने का आह्वान किया। बैठक में पड़ोसी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता, सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में पर्याप्त रूप से प्रदान की गई सीएपीएफ की तैनाती, सीमावर्ती राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में सीएपीएफ कर्मियों की आवाजाही और परिवहन के लिए साजो-सामान संबंधी सहायता, सीमावर्ती क्षेत्रों में उन फ्लैशपॉइंटों की पहचान और निगरानी करना जिनका चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, पिछले अनुभवों के आधार पर सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए निवारक, उपाय और अवैध गतिविधियों के खिलाफ खुली सीमाओं को सुरक्षित करने की अनिवार्यता आदि विषयों पर चर्चा हुई। आयोग ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नशीले पदार्थों, शराब, हथियारों और विस्फोटकों सहित प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी के महत्व को रेखांकित किया। कुछ राज्यों में अवैध गांजा की खेती पर अंकुश लगाने, सीमाओं पर शराब और नकदी की आवाजाही के लिए निकास और प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के निर्देश दिये। बैठक में मध्यप्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर कुमार सक्सेना एवं अधिकारी उपस्थित थे।

व्यय निगरानी

1. अंतरराज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकना।
2. चेकपोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी को मजबूत करना।
3. पुलिस, आबकारी, परिवहन, जीएसटी एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान।
4. हेलीपैड, हवाई अड्डों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी।
5. शराब और नशीली दवाओं के सरगनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, देशी शराब के प्रवाह में कटौती, इसे व्यवस्थित रूप से प्लग करने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करें।
6. शराब, नकदी, नशीली दवाओं और मुफ्त वस्तुओं के परिवहन के लिए संवेदनशील मार्गों का मानचित्रण।

केंद्रीय एजेंसियों को दिशा-निर्देश

1. असम राइफल्स द्वारा भारत-म्यांमार सीमा पर कड़ी निगरानी; एसएसबी द्वारा विशेष रूप से नेपाल के साथ छिद्रपूर्ण सीमा वाले क्षेत्रों में भारत नेपाल सीमा; बीएसएफ द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा और पश्चिमी सीमाएँ; भारत-चीन सीमा पर आईटीबीपी द्वारा और तटीय क्षेत्र वाले राज्यों में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा निगरानी की जायें।
2. असम राइफल्स राज्यपुलिस, सीएपीएफ आदि के साथ नियमित संयुक्त सुरक्षा समन्वय बैठकें आयोजित करेगी।
3. एसएसबी किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नेपाल और बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखेगी, खासकर मतदान के 72 घंटे पहले।
4. नागरिक प्रशासन के समन्वय से नव शामिल सीएपीएफ कंपनियों के लिए क्षेत्र से परिचित करायें।
5. राज्य पुलिस के समन्वय से संयुक्त जांच चौकियां भी स्थापित करें।

कानून एवं व्यवस्था संबंधी निर्देश

1. कड़ी निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियां।
2. सीमावर्ती जिलों के बीच अपराधियों, असामाजिक तत्वों पर खुफिया जानकारी साझा करना।
3. अंतिम 48 घंटों के दौरान फर्जी मतदान को रोकने के लिए अंतरराज्यीय सीमाओं को सील करना।
4. सीमावर्ती जिलों की नियमित अंतरराज्यीय समन्वय बैठकें।
5. राज्य पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों पर गश्त तेज करें।
6. सीमावर्ती राज्यों के समन्वय से रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त नाके स्थापित किए जाएंगे।
7. मतदान के दिन अंतरराज्यीय सीमा सील करें।
8. सीमावर्ती राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के उत्पाद शुल्क आयुक्त परमिट की वास्तविकता की जांच सुनिश्चित करें, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में शराब की दुकानों की औचक जांच करें।
9. लाइसेंसी हथियारों को समय पर जमा करना और गैर जमानती वारंटों का निष्पादन करना।
10. भगोड़ों, हिस्ट्रीशीटरों, चुनाव संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही।
11. खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों/उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा कवर।

मां कर्मा जयंती पर तीन क्विंटल हलवे का लगेगा भोग

भोपाल। आगामी 5 अप्रैल साहू समाज की आराध्य माँ कर्मा देवी की जयंती पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा आयोजित होगी। मां कर्मा देवी युवा मंच द्वारा मां कर्मा देवी का भव्य दरबार में दोपहर 12 बजे महाआरती कर समाज के वरिष्ठ अतिथियों का सम्मान कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। संस्था प्रमुख शैलेंद्र साहू ने बताया कि संस्था निरंतर 16 वर्ष से यह कार्यक्रम भव्य स्तर पर आयोजित करती है। इस हेतु एक बैठक में सुबोध साहू,उमेश साहू, वरुण साहू, विक्की साहू, राकेश साहू,अनिल साहू भानपुर, नरेश साहू, शैलेन्द्र साहू को विभिन्न कार्य दायित्व सौंपे गए।

सार्वजनिक स्थलों तथा नाला-नालियों से कचरा, गंदगी तत्काल साफ कराएंः हरेन्द्र

भोपाल (काप्र)।

नगर निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने व कचरा निष्पादन की प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं कचरा ट्रांसफर स्टेशनों का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है।

इसी तारतम्य में निगम आयुक्त ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था एवं राजेन्द्र नगर स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन का अवलोकन किया और सड़कों, मार्गों, सार्वजनिक स्थलों, नाला-नालियों से कचरा तत्काल उठवाने एवं साफा-सफाई व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। श्री नारायन ने शहर के अनेक स्थानों पर रेलवे के स्वामित्व के नाला-नालियों की सफाई हेतु रेलवे के अधिकारियों से समन्वय कर साफ सफाई कराने के निर्देश भी दिए। कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर कचरा पृथक्कीकरण, निष्पादन व परिवहन आदि प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हुए सभी कार्यों को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री नारायन ने सुलभ जनसुविधा केन्द्र के केयर टेकर को कार्य में सुधार लाकर बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था हेतु चेतावनी भी दी।

निगम आयुक्त ने चार इमली, प्रणामी मंदिर, प्रेस काम्प्लेक्स, गौतम नगर, रचना नगर, प्रभात चौराहा, नवीन नगर, चाणक्यपुरी, महामाई का बाग, 80 फिट रोड, चांदबड, कपड़ा मिल, राजेन्द्र नगर, करारिया, रेलवे स्टेशन, बजरिया, भारत टॉकीज, रेलवे ओवरब्रिज, हमीदिया रोड, भोपाल टॉकीज, बैरसिया रोड, पुतलीघर, शाहजहांनाबाद, मॉडल ग्राउंड, सिद्दीक हुसैन खा तालाब, मुंशी हुसैन खां तालाब, नूर महल रोड, इमामी गेट, पीरगेट, मोती मस्जिद, बुधवारा चार बत्ती, जहांगीराबाद, जेल रोड, अरेरा हिल्स आदि क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। प्रणामी मंदिर के सामने कचरे के ढ़ेर को तत्काल उठवाने के निर्देश दिए। प्रेस काम्प्लेक्स, गौतम नगर, रचना नगर क्षेत्र तथा करारिया क्षेत्र में रेलवे के नाले एवं रेलवे लाईन के किनारे कचरा, गंदगी पाए जाने पर रेलवे के अधिकारियों से समन्वय कर साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। प्रभात चौराहा स्थित सुलभ जनसुविधा केन्द्र में साफ-सफाई व्यवस्था में सुधार लाने हेतु अटेंडर को चेतावनी भी दी और साफ-सफाई बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने, नवीन नगर चाणक्यपुरी मार्ग पर जगह-जगह कचरे के ढ़ेर पाए जाने पर वी.सी. के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को स्थिति दिखाई और तत्काल कचरा, गंदगी साफ कराने के निर्देश दिए।

श्री नारायन ने राजेन्द्र नगर कचरा ट्रांसफर स्टेशन का अवलोकन किया और गीला-सूखा कचरा पृथक-पृथक रखकर प्रोसेस करने, ट्रांसफर स्टेशन पर आने वाले कचरे के वजन की त्रिस्तरीय प्रक्रिया एवं अपशिष्ट को कैप्सूल में भरकर परिवहन करने की प्रक्रिया का अवलोकन किया और प्रत्येक चरण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी भी प्राप्त की। कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा निष्पादन की सभी प्रक्रियाओं को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला बदर का उल्लंघन करने वाला बदमाश गिरफ्तार

25 आदतन गुंडे-बदमाश जिलाबदर

भोपाल (काप्र)।

हबीबगंज पुलिस ने जिला बदर का उल्लंघन करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। थाना पुलिस ने बताया कि शाहपुरा में रहने वाला सौदान सिंह मदन लाल अहिरवार (40) आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ 16 अपराध दर्ज है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई करते हुए उसे 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक भोपाल और आसपास के जिलों की सीमाओ से दूर रहने की हिदायत दी गई। जिलाबदर आदेश के दो महीने बाद ही बदमाश 11 सौ क्वार्टर में घूम रहा था। सूचना मिलने पर हबीबगंज पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे दबोच लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से शहर के कुल 25 आदतन अपराधियों और गुंडे-बदमाशों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा जिन बदमाशों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ विभिन्न थानों में संगीन अपराध दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन उर्फ बंटू, प्रकाश वाघमारे, रोहित सोनी, शिवम उर्फ शुभम रैकवार, आबिद उर्फ चिकना, समीर उर्फ छोटा कल्लू, विजय विश्वकर्मा उर्फ चीला, सौरभ पाल, दीपक तेजी, वहीद खान, रकीब कुरैशी उर्फ बराती, आशू उर्फ अंडा, दीपेश यादव, दिनेश कुंडेलकर, विशाल कुचबंदिया और गोलू उर्फ अरविंद बारेसा के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।

चाकू अड़ाकर महिला से की छेड़छाड

भोपाल (काप्र)। बैरागढ़ थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर मोहल्ले में ही रहने वाले मनचले युवक के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला कायम किया है। आरोपी पानी मांगने के बहाने उसके दरवाजे पर गया था। महिला के दरवाजा खोलते ही युवक ने उसे अंदर की और धक्का दे दिया और फिर घर में घुसकर चाकू अड़ाकर उसके साथ अशलील छेड़खानी करने लगा। पुलिस के मुताबिक 20 वर्षीय विवाहिता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मछली मार्केट इलाके में रहती है और उसका पति निजी काम करता है। उसके मोहल्ले में टौआ नाम का युवक रहता है। एक ही इलाके में रहने के कारण उनके बीच जान पहचान थी और बातचीत होती रहती है। बीती शाम उसका पति काम पर गया हुआ था, और वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी टौआ ने महिला के घर का दरवाजे खटखटाया। महिला के दरवाजा खोलने पर टौआ ने उससे पीने के लिये पानी मांगा। महिला जब पानी लेकर आई तब टौआ ने उसे घर के भीतर की और धक्का दे दिया। इसके बाद आरोपी भी उसके मकान में घुसा और चाकू निकाल कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके अशलील हरकते करने लगा। महिला ने उसका विरोध करते हुए शोर मचाया जिस पर टौटा उसे धमकी देते हुए वहॉ से भाग गया। बाद में पति के घर आने पर महिला ने आरोपी की सारी करतूत उसे बताई और पति के साथ थाने जा पहुंची। शिकायत मिलने पर पुलिस ने टौआ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए है।

समझौता न होने पर कार चालक ने थाने के बाहर खाया सल्फास, मौत

भोपाल (काप्र)।

बागसेवनिया थाने के बाहर एक व्यक्ति ने मंगलवार दोपहर को जहरीला पर्दाथ खा लिया। उसे इलाज के लिये पहले जेपी फिर हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हमीदिया में इलाज के दौरान मंगलवार रात उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि जहर खाने से पहले उसकी कार से एक दो पहिया वाहन को टक्कर लग गई थी। दोनों पक्ष थाने पहुंचे वहॉ कार चालक प्रकरण दर्ज न कराने का कहते हुए दो पहिया वाहन स्कूटी चालक से समझौता करने की बात कह रहा था। लेकिन स्कूटी चालक प्रकरण दर्ज कराना चाहता था। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिक ने बताया कि रेंज ऑफिस के सामने इंद्रा नगर बुधनी जिला सीहोर का रहने वाला 40 वर्षीय विनोद तिवारी पुत्र अंबिका प्रसाद तिवारी गांव में ही ट्रक डेकोरेशन का काम करता था। घर के पास ही उसकी दुकान है। काम के लिये सामान खरीदने वल मंगलवार की सुबह भोपाल आया था। भोपाल में ही उसका ससुराल भी है। सामान खरीदने और ससुराल वालों से मिलने के बाद वह वापस गांव जा रहा था। होशंगाबाद रोड पर उसकी कार से एक स्कूटी में टक्कर लग गई। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस हो गई और मामला थाने पहुंच गया। स्कूटी चालक प्रवीण परिहार ने घटना की लिखित सूचना थाना पुलिस को दी। वहीं सुभाष मामला दर्ज न कराने का कहते हुए स्कूटी चालक से राजीनामा करने की बात कह रहा था। वह उसके नुकसान की भरपाई और इलाज के कराने की बात कह रहा था। उसके काफी मनाने पर भी स्कूटी चालक प्रकरण दर्ज कराने पर अड़ा रहा। दोनों के बीच थाना परिसर में बहस होती रही। दोपहर करीब 2 बजे सुभाष ने थाने के बाहर खड़ी कार से सल्फास की गालियां निकाल कर खा ली और गोलिया खाने के बाद कार में ही बैठ गया। यह देख स्कूटी चालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फौरन ही उसे इलाज के लिये जेपी अस्पताल पहुंचाया। जहां उसे इलाज के लिए हमीदिया भेजा गया वहॉ इलाज के दौरान रात को उसकी मौत हो गई।

चैत्र नवरात्र की तैयारी प्रारंभ

भोपाल (काप्र)।

चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं। राजधानी में देवी की आराधना के इस पर्व की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। देवी मंदिरों में साफ-सफाई की जा रही है, तो नौ दिन चलने वाले अनुष्ठान के लिए पंडितों की बुकिंग से लेकर अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

इस बार मां दुर्गा अश्व (घोड़े) पर सवार हो आएंगी, वहीं उनका प्रस्थान हाथी पर गज लक्ष्मी के रूप में होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक माता के अश्व पर सवार होकर आने से विश्व में कई देशों में पुनः युद्ध होने और प्राकृतिक आपदाएं व सत्ता में उठापटक, तो विकास कार्यों में तेजी के संकेत हैं। पं. विष्णु राजौरिया ने बताया कि 9 अप्रैल को प्रतिपदा तिथि और रेवती नक्षत्र में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। इस दिन घट स्थापना का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत रहेगा, जिसका समय सुबह 11:33 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इसके अलावा शुभ, लाभ व अमृत के चौघडिया काल में भी घट स्थापना की जा सकती है। पं. राजौरिया के अनुसार मां जगदंबा का आगमन अश्व पर और प्रस्थान हाथी पर होगा। अश्व पर आना शुभ नहीं मानते हैं, इससे युद्ध व सत्ता में उठा-पटक होने के संकेत मिलते हैं, परंतु रुके विकास कार्य पुनः शुरू होंगे, क्योंकि अश्व तेज गति का प्रतीक है। सूर्यदेव के रथ में सात अश्व हैं, इसलिए नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ ही सूर्य को अर्घ्य देना भी दुष्प्रभावों को कम करेगा। माता का प्रस्थान हाथी पर होने का अर्थ है कि सुख-समृद्धि बढ़ेगी। सुख-शांति की स्थापना होगी। ज्योतिषी विमलेश विजयवर्गीय ने बताया कि नवरात्रि के नौ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होगी। माता की उपासना भय का नाश करने वाली होती है।

तैंतीस अभ्यर्थियों ने भरे नाम-निर्देशन पत्र

भोपाल (काप्र)।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के लिये नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है।

दूसरे चरण के लिये नामांकन भरने के चौथे दिन 33 अभ्यर्थियों ने 46 नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये। 28 मार्च से अब तक 54 अभ्यर्थियों द्वारा 73 नाम- निर्देशन पत्र दाखिल किये जा चुके हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया है कि 3 अप्रैल को लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-6 टीकमगढ़ (अजा) में 3 अभ्यर्थियों द्वारा 5 नाम-निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-7 दमोह में 7 अभ्यर्थियों द्वारा 8 नाम-निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-8 खजुराहो में 7 अभ्यर्थियों द्वारा 11 नाम-निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-9 सतना में 3 अभ्यर्थियों द्वारा 7 नाम-निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-10 रीवा में 6 अभ्यर्थियों द्वारा 6 नाम-निर्देशन पत्र, लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-17 नर्मदापुरम में 5 अभ्यर्थियों द्वारा 7 नाम-निर्देशन पत्र एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-29 बैतूल (अजजा) में 2 अभ्यर्थियों द्वारा 2 नाम- निर्देशन पत्र दाखिल किये गये हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किये गये अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट की लिंक पर देखी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। 5 अप्रैल को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम-निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों के मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।

बाथरूम में गिरकर घायल हुए युवक की मौत

भोपाल (काप्र)। मिसरोद थाना इलाके में बाथरुम में अचाकन चक्कर आने से गिरकर घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पृथ्वी कोर्टयार्ड में परिवार सहित रहने वाला 32 वर्षीय राहुल शर्मा 31 मार्च को बाथरूम में चक्कर आने के कारण गिरकर बूरी तरह घायल हो गया था। परिवार वालो ने राहुल को इलाज के लिए मंडीदीप के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान लगातार हालत नाजूक होती गई आखिरकार बीते दिन उसने दम तोड़ दिया। मंडीदीप पुलिस ने सूचना मिलने पर जीरो पर कायमी करने के बाद मर्ग डायरी मिसरोद थाना पुलिस को भेजी थी। मिसरोद पुलिस ने डायरी मिलने के बाद असल कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बच्चों के प्रचार पर रोक की एडवाइजरी

पोस्टर बटवाए या दीवारों पर लगवाए तो चुनाव आयोग कराएगा एफआईआर

भोपाल (काप्र)।

लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश जारी कर प्रचार में किसी भी तरह से बच्चों को शामिल न करने को कहा है। आयोग ने एडवाइजरी जारी कर सभी राजनीतिक दलों से कहा कि चुनाव संबंधी कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आयोग ने कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। उम्मीदवारों को प्रचार के दौरान न तो बच्चों को गोद में उठाना है न ही वाहन में बैठाना है। इसके अलावा कविता पाठ, गाने, नारे के रूप में बोले गए शब्द, पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों के प्रदर्शन के जरिए भी बच्चों को चुनाव अभियान में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पर बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम, कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों में कार्यवाही की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी गई है।

आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) द्वारा संशोधित बाल श्रम (निषेध व विनियमन) अधिनियम, 1986 का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। साथ ही, बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि राजनीतिक दल संशोधित अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत आयोग ने कहा कि अगर राजनीतिक नेता के निकट बच्चा अपने माता-पिता या अभिवावक के साथ उपस्थित है और किसी चुनाव प्रचार गतिविधि में शामिल नहीं है तो इसे दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।